


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री सावन्त सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि श्यामपुरा मैनाना जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि राणाऊ जिला जैसलमेर किया गया था। तत्पश्चात उक्त विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण एक अन्य आदेश दिनांक 04.01.2021 द्वारा इनका पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए राउमावि कोटडी जिला जैसलमेर किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री सावन्त सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1662/2021 सावन्त सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1662/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री सावन्त सिंह के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना में श्री सावन्त सिंह राउमावि श्यामपुरा मैनाना जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत् पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री नवीन गढ़वाल का अन्तरिम समायोजन राउमावि कोटडी जिला जैसलमेर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यक्षीन रहेंगे।



(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/सावन्त सिंह/1662/2021/192 दिनांक: 25/02/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)